तारीख हुक्म	**न्यायालयः सिविल न्यायाधीश, पुष्कर(अजमेर)** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **विषणुचंद बनाम गुर्जर समाज** **इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 01/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.02.2025	अधिवक्ता डिक्रीदार उपस्थित। इस आदेशिका द्वारा मद्यून सं. 02 कन्हैयालाल पुत्र बक्ताराम गुर्जर की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 21 नियम 26 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांकित 12.02.2025 व अन्य प्रार्थी शिवा गुर्जर की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 सीपीसी व आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांकित 24.02.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि हस्तगत इजराय याचिका के तहत दिनांक 04.10.2016 को डिक्रीदार पक्ष की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्य.प्र.सं का प्रस्तुत कर तामील कुनिंदा की रिपोर्ट के आधार पर मदयून सं. 2 श्री कन्हैयालाल का निधन हो जाने के कथन अभिकथित करते हुए श्री कन्हैयालाल के स्थान पर श्री शिवा गुर्जर को अजमेर गुर्जर समाज के अध्यक्ष की हैसियत से प्रतिस्थापित किये जाने का निवेदन किया गया, डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 04.10.2016 पर वर्तमान दिवस तक माननीय न्यायालय द्वारा कोई विस्तृत आदेश पारित नहीं फरमाया गया है, मदयून सं. 2 श्री कन्हैयालाल गुर्जर वर्तमान में जीवित हैं एंव अपने परिवार सहित 1250/क–1, गली 15 नम्बर–3, नृसिंहपुरा, फॉयसागर रोड, अजमेर पर स्थायी रूप से निवास कर रहा है, डिक्रीदार पक्ष द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए मदयून सं. 2 को मृत बतलाया जाकर प्रस्तुत इजराय याचिका की कार्यवही को निरन्तर लगातार बनाये रखा गया हे जो कि विधिसम्मत नहीं है, इसके अतिरिक्त मदयून सं. 2 श्री कन्हैयालाल जिन पर कभी भी माननीय न्यायालय से जारी किसी नोटिस की कोई तामील नहीं हुई, के द्वारा वर्तमान इजराय याचिका में अपने हितों की सही व समुचित पैरवी कर अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतू समय प्रदान फरमाये जाने के लिये एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2025 को अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया था जिस पर सुनवाई की जाकर माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.02.2025 से यह अंकित करते हुए कि "प्रार्थनापत्र प्रस्तुतकर्ता मदयून द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि इजराय याचिका में उल्लेखित मदयून सं. 2 कन्हैयालाल हो" खारिज फरमा दिया गया।वर्तमान में मदयून सं. 2 श्री कन्हैयालाल को अपने पुराने दस्तावेज को देखे जाने पर इस माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.02.2002 को इसी प्रकरण के तहत दर्ज हुए बयानों की सत्यापित प्रति प्राप्त हुई है जिसमें भी मदयून सं. 2 का नाम श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री बक्ता जी निवासी फॉयसागर रोड अजमेर दर्ज है जो कि मदयून सं. 2 द्वारा दिनांक 06.02.2025 को अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये आधार कार्ड से पूर्ण रूप से मिलान करता है जिससे अभिलेख पर यह तथ्य भली–भाँति पुष्ट होता है कि मदयून सं. 2 श्री कन्हैयालाल वर्तमान में जीवित है। न्यायालय द्वारा जारी कब्जा वारन्ट	

तारीख हुक्म	**न्यायालयः सिविल न्यायाधीश, पुष्कर(अजमेर)** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **विषणुचंद बनाम गुर्जर समाज** **इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 01/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की पालना रिपोर्ट बाबत् आयन्दा तारीख पेशी दिनांक 24.02.2025 सुनवाई में नियत है एवं मदयून सं. 2 को हस्तगत इजराय के तहत अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने में कुछ समय लगना स्वभाविक है, के कारण से प्राकृतिक न्याय के नियमों के तहत जारीशुदा वारट की तामील को प्रकरण की विधिवत्त सुनवाई होकर अन्तिम रूप से न्यायनिर्णित हो जाने तक की रोका जाकर अदम तामील लौटाये जाने बाबत् भी उचित समुचित एंव युक्तयुक्त कारण व आधार विद्यमान करते हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जारीशुदा वारट की तामील को प्रकरण की विधिवत्त सुनवाई होकर अन्तिम रूप से न्यायनिर्णित होने तक रोके जाने व उक्त इजराय याचिका में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किए जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में बयान दिनांक 04.02.2002 की सत्यापित प्रति पेश की। इसके विपरीत अधिवक्त डिक्रीदार द्वारा जवाब पेश कर दौराने बहस तर्क दिया गया कि मदयून द्वारा अपने समाज के कार्यालय के दिये गये पते पर तामिली हेतु जब तामिल कुन्निदा द्वारा तामिली की कार्यवाही की गयी तो उक्त मदयून सं 2 का देहान्त होना पाया गया तथा तामिल कुन्निदा को उक्त तामिली रिर्पोट के अनुसार उसकी पत्नी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र भी दिया गया जो माननीय न्यायालय के समक्ष तामिली रिर्पोट के साथ पत्रावली में संलग्न 'है तथा तामिली रिर्पोट के अंदर कन्हैयालाल की पत्नी द्वारा अपने पति के मृतक होने के बाबत पृष्ठाकन किया गया। प्रस्तुत रिर्पोट के आधार पर डिकीदार द्वारा उक्त शिवा गुर्जर को तामिली करवाने बाबत् निवेदन किया गया था तथा आवेदन पत्र के साथ जो दस्तावेज पेश किये गये है उसमे राजस्थान गुर्जर संगठन का जो ईकाई कार्यालय का पता बताया है वह 18/202 छीपा गली उतार घसेटी अजमेर है। यह कार्यालय पता आज तक किसी प्रकार से परिवर्तित नही हुआ है एवं प्रतिवादी/मद्यून सं. 1 का आज भी पता छीपा 18/202 गली उतार घसेटी अजमेर कायम है। यह वाद पत्र अजमेर जिला गुर्जर समाज के विरूद्ध पेश किया गया था और तदानुसार डिक्री पारित की गयी है। किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ यह वाद पत्र प्रस्तुत नही किया गया ना ही कोई डिक्री पारित हुई है बल्कि यह आज्ञप्ति अजमेर जिला गुर्जर समाज के विरूद्ध पारित की गयी है। इसका अध्यक्ष कन्हैयालाल रहे है इसलिए उन्हे भी मदयून सं. 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया है और 18/202 छीपा गली उतार घसेटी अजमेर पर उनकी तामिली करायी गयी है। उक्त व्यक्ति जीवित है अथवा नही यह तथ्य तामिली कुन्निदा की रिर्पोट से स्पष्ट है, मदयून सं. 2 कन्हैयालाल गुर्जर द्वारा पूर्व मे कभी भी न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से उपस्थित होकर यह नही बताया गया है कि अजमेर जिला गुर्जर समाज के कार्यालय मे रहने वाला कन्हैयालाल अन्य व्यक्ति है और वह अध्यक्ष नही है। इसके अतिरिक्त कन्हैयालाल की पत्नी का घोषणात्मक पृष्ठाकन न्यायालय के तामिल कुनिन्दा द्वारा किया गया है जो स्पष्ट प्रतीत करता है कि विधि की प्रक्रिया मे न्यायालय द्वारा अथवा किसी द्वारा कोई त्रुटि	

तारीख हुक्म	**न्यायालयः सिविल न्यायाधीश, पुष्कर(अजमेर)** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **विषणुचंद बनाम गुर्जर समाज** **इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 01/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नही रखी गयी है और हर एक संभावनाओ की परिपेक्ष्य मे पूर्ण सावधानी बरती गयी है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित तामिली किये जाने आदेश दिया गया था उसकी पालना में स्थानीय दैनिक नवज्योति संस्करण के अंदर प्रकाशित किया गया है अगर कन्हैयालाल गुर्जर जिसने यह आवेदन पेश किया है वह वर्तमान मे अध्यक्ष है तो अजमेर मे समुचित प्रचलित विख्यात एवं हर व्यक्ति की जानकारी मे आने वाले दैनिक संस्करण दैनिक नवज्योति मे प्रकाशित तामिली के तहत यह उपधारणा स्पष्ट है कि इस तथाकथित कन्हैयालाल को न्यायालय के समक्ष लंबित इजराय की जानकारी हो चुकी थी और उसके पश्चात किसी प्रकार का कोई जवाब इस तथाकथित कन्हैयालाल जो अपने आपको इस अर्जी के जरिये अध्यक्ष बता रहा है उसके द्वारा पेश नही किया गया ना ही डिक्री के निष्पादन के विरूद्ध अखबार मे प्रकाशित सूचना पत्र की पालना में किसी प्रकार का कोई वजह जाहिर की जिससे की डिक्री का निष्पादन नही किया जा सके। नोटिस जाहिर करने वजह समुचित रूप से प्रकाशित हो चुका था ओर नवज्योति संस्करण मे प्रकाशित हुआ था जो कि अजमेर का एक दैनिक समाचार पत्र है। अजमेर जिला गुर्जर समाज अजमेर के प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकाशन से प्रस्तुत इजराय की जानकारी हो चुकी थी विशेषकर प्रार्थना पत्र मे वर्णित कन्हैयालाल अध्यक्ष है तो उसे विशेष सावधानी बरतते हुए अपनी संस्था के अधिकारो के प्रति सचेत रहना चाहिये था वह अपनी लापरवाही से न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग नही कर सकता है। आज भी इस तथाकथित अध्यक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई भी वजह जाहिर नही की गयी है कि डिक्री का निष्पादन क्यो नही किया जावे या कब्जा क्यो नही डिकीदार को दिलाया जावे। इसके साथ ही साथ इस प्रार्थी द्वारा आज भी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जो कि इसके वर्तमान अस्तित्व को जाहिर करता हो। केवल मात्र न्यायिक प्रक्रिया को रोकने के लिए यह आवेदन पत्र पेश किया है। दैनिक नवज्योति में प्रकाशित नोटिस अन्तर्गत आदेश 21 नियम 22 सीपीसी एक पर्याप्त तामील है जिससे की इस मदयून को अवसर प्रदान था कि वह इस डिक्री के निष्पादन के विरूद्ध अपनी वजह जाहिर कर सके लेकिन उक्त नोटिस को भी और उस तामिली को भी और उस प्रकाशन को भी इस मदयून द्वारा दरकिनार कर दिया गया और एक तामिल कुन्निदा की रिर्पोट को गलत रूप से प्रचार प्रसार करके डिक्री के निष्पादन में रूकावट पैदा करने के उदेश्य से यह आवेदन पेश किया गया है। कन्हैयालाल द्वारा इस प्रार्थना पत्र के साथ समाज का ऐसा कोई भी पत्र प्रस्तुत नही किया गया है जो दिनांक 12.02.2025 को इस कन्हैयालाल को अजमेर जिला गुर्जर समाज का अध्यक्ष साबित करता हो। कन्हैयालाल जिसके द्वारा यह आवेदन पेश किया गया है उसे डिक्री के निष्पादन के विरूद्ध कोई कारण हो, कोई वजह हो तो उसे जाहिर करना चाहिये था परन्तु कन्हैयालाल द्वारा किसी प्रकार का कोई भी कारण इस आवेदन पत्र के अंदर जाहिर नही किया गया है जो कि डिक्री के निष्पादन को रोकने के लिए कारण दर्शित करता हो। अजमेर जिला गुर्जर समाज का जो संगठन है इस समाज का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष के	

तारीख हुक्म	**न्यायालयः सिविल न्यायाधीश, पुष्कर(अजमेर)** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **विषणुचंद बनाम गुर्जर समाज** **इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 01/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रूप में कौन कर रहा है इसका कथन जानबूझकर बेईमानी पूर्वक मिथ्या वर्णन करते हुए विधि की प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थी द्वारा छुपाया गया है। प्रार्थी द्वारा पूर्व मे दिनांक 06.02. 2025 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया है व दिनांक 12.2.2025 को पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 24.2.25 तक भी इस कन्हैयालाल ने किसी प्रकार का कोई भी कारण नही बताया है कि इजराय का निष्पादन क्यो नही किया जावे। डिकीदार सादर निवेदन करता है कि यह डिक्री वास्तविकता मे अजमेर जिला गुर्जर समाज के विरूद्ध है जिसके द्वारा दैनिक नवज्योति के अंदर प्रतिस्थापित तामिली होने के बाद भी अखबार मे प्रकाशन की तारीख से आज तक किसी प्रकार का कोई ऐसा कारण ऐसी आपत्ति दर्शित नही की गयी है जो कि ऐसा कारण बताती हो कि डिक्री का निष्पादन नही कराया जावे। न्यायालय ने दिनांक 04.06. 1993 को यानि की 31 साल पूर्व विष्णुप्रसाद के पक्ष में और अजमेर जिला गुर्जर समाज के विरूद्ध वादग्रस्त सम्पत्ति की घोषणा एवं कब्जे की आज्ञप्ति पारित कर गुर्जर समाज को पाबंद किया था कि वह इस जायदाद का खाली कब्जा डिकीदार को दो माह मे संभला देवें। दिनांक 04.06.1993 से दो माह व्यतीत होने के बाद भी इस पक्षकार द्वारा डिक्री की पालना नही की गयी और जो प्रथम अपील माननीय अपील न्यायालय में पेश की गयी थी वह अपील बाद सुनवाई दिनांक 04.1.2012 को निरस्त कर दी गई थी। न्यायालय द्वारा डिक्री के अंदर आज्ञप्ति शुदा जायदाद का विवरण नही होने के कारण जो आवेदन पत्र डिकीदार का संशोधन का निरस्त किया था उसके विरूद्ध की गयी रिवीजन सं. 692/2002 विष्णुचंद बनाम अजमेर जिला गुर्जर समाज मे माननीय उच्च न्यायालय ने पारित आदेश दिनांक 27.11.2002 डिक्री मे आज्ञप्तिशुदा परिसर का विवरण समावेश करने के आदेश दिये थे और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 10.02.2003 को यह वर्तमान निष्पादन योग्य डिक्री बनायी गयी है। स्वंय अजमेर जिला गुर्जर समाज के तथाकथित अध्यक्ष कन्हैयालाल द्वारा न्यायालय मे हुए बयान विष्णुचंद बनाम अजमेर जिला गुर्जर समाज दिनांक 4/1995 में स्पष्ट अंकित करते है कि इस इजराय की कार्यवाही की जानकारी इस गुर्जर समाज को तदानुसार रही है। विशेषकर जबकि वर्तमान इजराय के अंदर डिकीदार द्वारा दैनिक नवज्योति के संस्करण के अंदर आदेश 21 नियम 22 सीपीसी के नोटिस तामिल करवा दिये गये है। इसके अतिरिक्त पूरे प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई कारण नही बताया गया है कि डिक्री का निष्पादन क्यो नही किया जाये। अगर कन्हैयालाल गुर्जर अध्यक्ष ही है तो उसे पर्याप्त अवसर है कि वह आदेश 21 नियम 22 सीपीसी के तहत अपना कारण स्पष्ट कर देता। माननीय न्यायालय ने जो इजराय के अधीन वर्णित जायदाद के निष्कासन की जो आज्ञप्ति पारित की है उसका कब्जा मदयूनगण किस प्रकार और कब दे रहे है इसका शपथ पत्र मदयूनगण को पेश करना चाहिये था। अन्यथा विधि की प्रक्रिया का दुरूपयोग करके न्यायालय के	

तारीख हुक्म	**न्यायालयः सिविल न्यायाधीश, पुष्कर(अजमेर)** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **विषणुचंद बनाम गुर्जर समाज** **इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 01/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के रहते हुए अगर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य किया गया है तो वह मदयून अजमेर जिला गुर्जर समाज हटाने हेतु उतरदायी है। अंत में अधिवक्ता डिक्रीदार द्वारा पेश प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जाकर डिक्री के निष्पादन के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को आज्ञप्तिशुदा परिसर का कब्जा डिकीदार को दिलवाये जाने हेतु स्पष्ट निर्देशित किए जाने तथा साथ ही किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य अगर मदयून द्वारा कर लिया गया है तो उसे मदयून के खर्चे पर तुडवाये जाने हेतु नाजिर को आदेशित किए जाने का निवेदन किया गया।

सुना गया। बहस तर्कों के प्रकाश में इजराय प्रार्थना पत्र पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से कन्हैयालाल गुर्जर पुत्र बक्ताराम गुर्जर द्वारा स्वयं को मद्यून संख्या 02 व अजमेर जिला, गुर्जर समाज का अध्यक्ष बताते हुए, उक्त इजराय पत्रावली में अपना पक्ष रखने हेतु समय प्रदान किए जाने व जारीशुदा कब्जा वारण्ट की कार्यवाही स्थगित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है, जिसका अधिवक्ता डिक्रीदार द्वारा पुर्जोर विरोध कर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्र पेशकर्ता कन्हैयालाल द्वारा स्वयं को मद्यून संख्या 02 व अजमेर जिला, गुर्जर समाज का अध्यक्ष बताया जाकर कथन किया गया है कि कन्हैयालाल आज भी जीवित है, जिस कन्हैयालाल पर तामील हुई वह कन्हैयालाल अजमेर जिला, गुर्जर समाज का अध्यक्ष नहीं रहा है। प्रार्थी कन्हैयालाल द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में विष्णुचंद बनाम अजमेर जिला गुर्जर समाज इजराय याचिका संख्या 4/95 में दिनांक 04.02.2002 को न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध अपने बयानों की सत्य प्रति पेश की है तथा तत्समय स्वयं के अध्यक्ष होने के संबंध में अन्य दस्तावेजात भी पेश किये गए हैं।

सुसंगत विधि आदेश 21 नियम 22 सीपीसी में यह प्रावधान उपबंधित है किः–

22. कुछ दशाओं में निष्पादन के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने की सूचनाः–
(1) जहां निष्पादन के लिए आवेदन–

(क) डिक्री की तारीख से दो वर्ष से के पश्चात् किया गया है, अथवा

(ख) डिक्री के पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध किया गया है अथवा जहां धारा 44क के उपबंधों के अधीन फाईल की गई डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया गया है, अथवा

(ग) जहां डिक्री का पक्षकार दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है वहां दिवाले में समनुदेशिती या रिसीवर के विरुद्ध किया गया है,

वहां डिक्री निष्पादन करने वाला न्यायालय उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध निष्पादन के लिए आवेदन किया गया है, यह अपेक्षा करने वाली सूचना निकालेगा कि वह उस तारीख को जो नियत की जाएगी, हेतु दर्शित करे कि डिक्री उसके विरुद्ध निष्पादित क्यों न की जाए:

परन्तु ऐसी कोई सूचना ना तो डिक्री की तारीख और निष्पादन के लिए आवेदन के बीच दो वर्ष से अधिक बीत जाने के परिणामस्वरूप उस

तारीख हुक्म	**न्यायालयः सिविल न्यायाधीश, पुष्कर(अजमेर)** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **विषणुचंद बनाम गुर्जर समाज** **इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 01/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दशा में आवश्यक होगी जिसमें कि निष्पादन के लिए किसी पूर्वतन आवेदन पर उस पक्षकार के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध निष्पादन के लिए आवेदन किया गया है, किए गए अंतिम आदेश की तारीख से दो वर्ष के भीतर ही निष्पादन के लिए आवेदन कर दिया गया है और न निर्णीतऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध आवेदन किए जाने के परिणामस्वरूप उस दशा में आवश्यक होगी जिसमें कि उसी व्यक्ति के विरुद्ध निष्पादन के लिए पूर्वतन आवेदन पर न्यायालय उसके विरुद्ध निष्पादन जारी करने का आदेश दे चुका है।

(2) पूर्वगामी उपनियम की कोई भी बात न्यायालय को विहित सूचना जारी किए बिना डिक्री के निष्पादन में कोई आदेशिका जारी करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी, यदि उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उनका विचार हो कि, ऐसी सूचना निकालने से अयुक्तियुक्त विलंब होगा या न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएंगे।

इस प्रकार उक्त प्रावधान आदेश 21 नियम 22 सीपीसी के तहत जारी किए जाने वाले नोटिस का उद्देश्य केवल मद्यूनगण को डिक्री के निष्पादन से पूर्व यदि उसकी कोई आपत्ति हो तो हेतुक दर्शित करने हेतु अपना पक्ष रखना है ताकि डिक्री का निष्पादन विधिपूर्ण तरीके से बिना मद्यूनगण को कठिनाई हुए, हो सके। यदि मद्यूनगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाती है तो डिक्री निष्पादन न्यायालय द्वारा विहित प्रावधानानुसार डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही की जानी होती है।

हस्तगत प्रकरण में उक्त प्रावधान की मंशानुसार ही मद्यूनगण को न्यायालय द्वारा आदेश 21 नियम 22 सीपीसी के तहत नोटिस जारी किये गए थे। तत्पश्चात् नोटिस तामील नहीं होने के कारण दिनांक 30.09.2024 को न्यायालय द्वारा डिक्रीदार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 21 नियम 22 सीपीसी स्वीकार करते हुए विधिनुसार नोटिस की तामील स्थानीय अखबार में साया करवाए जाने के आदेश पारित किये गए,जिसकी पालना में डिक्रीदार द्वारा दिनांक 23.10.2024 को डिक्री के निष्पादन के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने की सूचना अंतर्गत आदेश 21 नियम 22 सीपीसी अखबार में साया करवाकर, अखबार की प्रति पेश की गई तथा नियत दिनांक 09.12.2024 को मद्यून की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर न्यायालय द्वारा कब्जा वारण्ट आदेश 21 नियम 35 सीपीसी के तहत जारी किये गए। इस प्रकार डिक्री निष्पादन न्यायालय द्वारा मद्यूनगण को अपना पक्ष रखने हेतु मौजूद विकल्पानुसार हर संभव प्रयास किये गए।

चूंकि आज न्यायालय के समक्ष कन्हैयालाल पुत्र बक्ताराम द्वारा स्वयं को बतौर मद्यून सं. 02 अध्यक्ष अजमेर जिला गुर्जर समाज बता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात से प्रार्थी कन्हैयालाल पुत्र बक्ताराम ही मद्यून संख्या 02 होना जाहिर आता है। इस प्रकार आदेश 21 नियम 22 सीपीसी के तहत जारी किए जाने वाले नोटिस का उद्देश्य भी पूर्ण होना प्रकट आता है।

चूंकि न्यायालय द्वारा कभी मद्यूनगण के विरुद्ध कोई एकपक्षीय कार्यवाही अम्ल में नहीं लायी गई है, ना ही ऐसा कोई प्रावधान

तारीख हुक्म	**न्यायालयः सिविल न्यायाधीश, पुष्कर(अजमेर)** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **विषणुचंद बनाम गुर्जर समाज** **इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 01/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित तामील के पश्चात् डिक्री निष्पादन के अनुक्रम में कब्जा वारण्ट जारी किया गया था। जिसकी पालना आज दिनांक तक नहीं हुई है। यह सुस्थापित विधि है कि डिक्री निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन किया जाना होता है। डिक्री से परे जाकर कोई विवेचन/आदेश पारित नहीं किया जाना होता। न्यायालय के समक्ष सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री निष्पादन हेतु लंबित है। प्रार्थी कन्हैयालाल द्वारा स्वयं को मद्यून सं. 02 बताया गया है। जिस पर अब कोई संशय होना भी प्रकट नहीं आता है। ऐसे में यदि प्रार्थी कन्हैयालाल मद्यून सं. 02 है तो प्रार्थी का यह दायित्व हो जाता है कि वह बाद संपूर्ण कार्यवाही सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का सम्मान कर डिक्री की पालना करें। न्यायालय के समक्ष आज दिनांक तक ना तो किसी भी सक्षम अपीलीय न्यायालय द्वारा डिक्री निष्पादन पर कोई स्थगन पारित किया जाना प्रकट आता है, ना ही किसी भी व्यक्ति या मद्यूनगण द्वारा कोई आपत्ति पेश किया जाना प्रकट आता है। चूंकि आदेश 21 नियम 22 सीपीसी का उद्देश्य मद्यूनगण को केवल डिक्री निष्पादन से पूर्व हेतुक दर्शित करने हेतु अवसर दिया जाना होता है। जो अवसर दिया जाना प्रकट है। ऐसे में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उठाये गए सभी तर्कों का कोई विधिक औचित्य नहीं रह जाता है। पूर्व में भी प्रार्थी कन्हैयालाल द्वारा समान रूप से ही एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2025 को पेश किया गया था, जिसको न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.02.2025 को प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए जाने के आधार पर खारिज किया गया था। इस प्रकार दिनांक 06.02.2025 से आज दिनांक 25.02.2025 तक प्रार्थी/मद्यूनगण की ओर से कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है। जबकि प्रार्थी को पर्याप्त अवसर मिलना प्रकट है। प्रार्थी यदि चाहता तो उक्त अवधि में यदि कोई आपत्ति होती तो उठाने हेतु स्वतंत्र था। चूंकि न्यायालय के समक्ष ना तो कोई स्थगन आदेश है, ना ही कोई आपत्ति लंबित है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से केवल समय चाहा गया था, जो प्रार्थी को उक्त अवधि में मिलना प्रकट होता है। हस्तगत इजराय याचिका दिनांक 04.06.1993 को न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के निष्पादन हेतु लंबित होकर सर्वाधिक पुराने व लक्षित प्रकरणों की सूची में शामिल है। प्रार्थी/मद्यून सं. 02 द्वारा डिक्री की पालना हेतु कोई आपत्ति पेश नहीं किए जाने से न्यायालय द्वारा विहित प्रावधानानुसार डिक्री का निष्पादन किया जाना है। फिर भी न्यायहित में मद्यूनगण को अनावश्यक क्षति व परेशानी ना हो व शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें डिक्री की पालना हेतु समय मिल सकें। अतः **प्रार्थी कन्हैयालाल की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 21 नियम 26 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांकित 12.02.2025 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री के निष्पादन से पूर्व मद्यून सं. 02 को यह अवसर दिया जाता है कि आगामी दिनांक से पूर्व या तो डिक्री की पालना**	

तारीख हुक्म	**न्यायालयः सिविल न्यायाधीश, पुष्कर(अजमेर)** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **विषणुचंद बनाम गुर्जर समाज** **इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 01/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में डिक्रीशुदा परिसर का रिक्त कब्जा डिक्रीदार को सुपुर्द कर दें या इस आशय का शपथ पत्र पेश कर दे कि वह स्वयं के स्तर पर न्यायलय द्वारा बिना कब्जा वारण्ट जारी किए ही आगामी 15 दिवस की अवधि के भीतर डिक्री की पालना करवा देगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मद्यून सं. 02 कन्हैयालाल द्वारा ऐसा कोई कथन अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है कि वह वर्तमान में अजमेर जिला गुर्जर समाज का अध्यक्ष नहीं हो, बावजूद यह जानते हुए कि डिक्रीदार द्वारा दिनांक 04.10.2016 को नये अध्यक्ष के रूप में शिवा गुर्जर को प्रतिस्थापित करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। इससे भी यहीं प्रतीत होता है कि प्रार्थी/मद्यून सं. 02 कन्हैयालाल ही वर्तमान में उक्त अजमेर जिला गुर्जर समाज का अध्यक्ष है। जिस कारण मद्यून सं. 02 का डिक्री की पालना हेतु दायित्व और प्रबल व अधिक हो जाता है। चूंकि मद्यून सं. 02 कन्हैयालाल पुत्र बक्ताराम न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। ऐसे में पूर्व में डिक्रीदार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र दिनांकित 04.10.2016 जिसके जरिये प्रार्थी/डिक्रीदार द्वारा तत्समय तामील कुनिंदा की रिपोर्टानुसार कन्हैयालाल की मृत्यु हो जाने के कारण शिवा गुर्जर को मद्यून सं. 02 के स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाने का अनुतोष चाहा गया था, पर अब कोई आदेश पारित किए जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ऐसे में जब शिवा गुर्जर को मद्यून सं. 02 के रूप में प्रतिस्थापित ही नहीं किया गया है, तो प्रार्थी शिवा गुर्जर की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 सीपीसी व आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांकित 24.02.2025, जिसके जरिये प्रार्थी शिवा गुर्जर द्वारा स्वयं को आवश्यक पक्षकार नहीं होने के कारण तर्क किए जाने का अनुतोष चाहा गया था, को तर्क किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसे में **प्रार्थना पत्र दिनांकित 24.02.2025 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।** पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 03.03.2025 को पेश हो।	